भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4450

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

एमएसएमई को सहायता

4450. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में एमएसएसई की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों, विशेषकर कौशाम्बी जैसे जिलों में लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के लिए क्या विशिष्ट पहल की जा रही है; और

(ग) सरकार के पास एमएसएमई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ऋण तक पहुंच, तकनीकी उन्नयन और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और कारोबार के दो मानदंडों के आधार पर वर्ष 2020 में एक संशोधित परिभाषा स्वीकार की गई थी तथा पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। दिनांक 11.01.2023 को जीएसटी दायर करने से छूट प्राप्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 30.1 प्रतिशत और विनिर्माण आउटपुट में 36 प्रतिशत का योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 45 प्रतिशत था।

एमएसएमई पंजीकरण और रोजगार के संबंध में प्राप्त सूचना के मामले में वर्ष-वार वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

दिनांक 01.07.2020 से 15.03.2025 तक यूएपी सहित यूआरपी पर एमएसएमई पंजीकरण में वर्ष-वार वृद्धि और रोजगार के संबंध में प्राप्त वर्ष-वार सूचना

	दिनांक 31.03.2021 तक	**दिनांक 31.03.2022 तक**	**दिनांक 31.03.2023 तक**	**दिनांक 31.03.2024 तक**	**दिनांक 15.03.2025 तक**
कुल पंजीकरण	28,29,746	79,52,575	1,64,99,727	4,13,93,255	6,13,37,576
रोजगार के संबंध में प्राप्त सूचना	2,73,18,171	6,22,03,234	10,77,91,936	18,17,67,574	26,09,22,301

(ख) और (ग) : केंद्र सरकार कौशाम्बी जिला सहित, देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करती है, जिनमें अन्य के साथ-साथ, एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें केडिट सहायता तक पहुंच मुहैया कराने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा बाजार से जोड़ने के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए केडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के अंतर्गत एमएसई को विभिन्न श्रेणियों की ऋण के लिए 90 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ 500 लाख रु. तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान की गई गारंटियों की संख्या और अनुमोदित गारंटी राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	वर्ष 2000-01 से 2019-2020	वर्ष 2020-2021 से 2024-2025
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	43,53,591	64,81,482
अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)	2,28,704	6,55,987

ऋण तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए सीजीएस के अतिरिक्त बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपस्करों की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अ.ज/अ.ज.जा के स्वामित्व वाले एमएसई को 25 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशिष्ट केडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, पीएस विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि जैसी स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है।

ii. देश भर में फैले प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूमों का नेटवर्क उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए पहुंच, प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यवसाय से जुड़ी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में एमएसएमई की सहायता करता है। जेड 2.0 स्कीम प्रमाणन स्तर की प्रभावशीलता में वृद्धि करने और उसकी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। एसएसई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापार सक्षमता और विपणन स्कीम की शुरुआत की गई है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में एमएसई तक बाजार की सुनिश्चित हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) एसएसई को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीक को अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को अपनाने आदि के जरिए एमएसई को बाजार तक पहुंचने में लाभ प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/विक्रेता-क्रेता बैठकों में एमएसएमई की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के उपयुक्त संगठनों तथा उद्योगिक संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगस्त, 2021 में एमएसएमई को निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए एमएसएमई का क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इस स्कीम में दो नए घटकों अर्थात 'पहली बार के निर्यातकों का क्षमता निर्माण' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंधी सूझबूझ के प्रसार हेतु रूपरेखा को जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बजट 2025 में एमएसएमई के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है उनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज को 5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10 करोड़ रु. कर दिया गया है।
- स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवरेज की राशि को 10 करोड़ रु. से बढ़ाकर 20 करोड़ रु. कर दिया गया है।
- बेहतर तरीके से निर्यात करने वाले एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रु. तक के सावधि ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी
- विस्तृत दायरे और 10,000 करोड़ रु. के अन्य नए योगदान के साथ एक नई निधियों की निधि
- 2 करोड़ रु. तक के सावधि ऋण के लिए महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमी बने लोगों के लिए एक नई स्कीम।

*****